संख्या : 4-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-1-दो(2)/07

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 25 मई, 2007

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-2008 में प्रथम 04 माह हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में 01 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई, 2007 अर्थात कुल 04 माह के लिए मद संख्या-25-लघुनिर्माण में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 के अनुसार मतदेय में रु० 13,33,000/-(तेरह लाख, तैंतीस हजार रुपये मात्र) एवं भारित में रु० 13,33,000/-(तेरह लाख, तैंतीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय	
शीर्षक/मानक मद	धनराशि (हजार रुपये में)
मतदेय 25-लघु निर्माण कार्य	-
भारित	1333
105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश	
मतदेय 25-लघु निर्माण कार्य	1333

(1) लघु निर्माण से सम्बन्धित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद मे व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

(9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर" के अन्तर्गत उपर्युक्त लघु शीर्षक एवं उप शीर्षकों के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-585/XXVII(5)/2007, दिनांक 21.5.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या : 4-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
4. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम०एम०सेमवाल)
अनु सचिव ।